न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 19/2020

मिर्जा खलीकउल्ला बैग एडवोकेट नजर बाग राज टाकीज रोड टोंक राज.
--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी पीपलू
--प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 26-8-2020

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी पीपलू को आवेदन पत्र दिनांक 8-6-2020 प्रेषित/प्रस्तुत कर अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गई थी :-

1-ग्राम नानेर में स्थित ख. नं. 522/9 की लट्ठाशीट में रास्ते की तरमीम की गई है यदि हां तो उस आदेश की नकल

2-ख. नं. 522/2 की आरक्षित भूमि बीसलपुर न्यायार्थ रकबा 5 बिस्वा का जो नामान्तरण खोला गया उसकी नकल

3-ग्राम पंचायत नानेर ने 522/9 में रास्ता खुलवाने की प्रार्थना-पत्र यदि दिया है तो उसकी नकल

4-दिनांक 4.6.2020 का श्रीमान उपखण्ड अधिकारी द्वारा ख. नं. 522/9 आबादी भूमि में जो रास्ता किसके आदेश से निकलवाया यदि उपखण्ड अधिकारी पीपलू द्वारा आदेश दिया गया है तो उस आदेश की नकल

5-दामोदर चावला द्वारा ख. नं. 522/1 चारागाह भूमि पर कब्जा कर रखा है यदि हां तो उसको नोटिस दिया गया है तो उसकी नकल

6-चारागाह 522/1 पर निर्माण कार्य किया जा रहा है तो उसे यदि रोका गया है तो उसकी नकल

अपीलान्ट को सूचना प्राप्त नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी पीपलू के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधकारी पीपलू से अपीलान्ट को सूचना नहीं दिये जाने के संबंध मे जवाब तलब किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2020.12.07 15:53:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी पीपलू ने उनके पत्र क्रमांक 1160 दिनांक 7–8–2020 से अवगत कराया कि वांछित सूचना तहसीलदार पीपलू से सम्बन्धित होने के कारण कार्यालय पत्र क्रमांक 7708 दिनाक 24–6–2020 से आवेदक को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु तहसीलदार पीपलू को निर्देशित कर दिया गया था। तहसीलदार पीपलू द्वारा उनके पत्र क्रमांक 636 दिनांक 15–7–2020 से आवेदक को सूचना उपलब्ध करवा दी गई न्यायालय हाजा में प्रस्तुत जवाब की प्रति भिजवाई गई है, जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी पीपलू तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(गौरव अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2020.12.07 15:53:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner